RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

Rs. TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

256026

लखनऊ कोषागार व कार्य
5 SEP 2006
स. को. ०/कोषाधिकारी
अपर कोषागार लखनऊ
LKOTRY

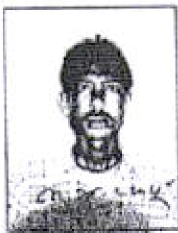

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – लखनऊ
3. ग्राम – अहमामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)– भूमि खसरा न0 789, तथा 791
5. मापन की इकाई – हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
7. पेड़ों का मूल्यांकन – नहीं है

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

RS.TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

256027

2006

- 2 -

8.	बोरिंग/कुआ/अन्य	– बोरिंग/कुआं/अन्य नही
9.	प्रतिफल की धनराशि	– रू0 7,00,000/-
10.	मालियत	– रू0 11,09,063
11.	स्टाम्प	– रू0 1,11,000/-

चौहद्दी

खसरा न0. 789

उत्तर	: खसरा संख्या–790
दक्षिण	: चक रोड
पूरब	: खसरा संख्या–788
पश्चिम	: खसरा संख्या–790

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये
RS. TWENTY FIVE THOUSAND

56028

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SEP 2006

खसरा नं0.791

उत्तर	: खसरा संख्या-798, 792
दक्षिण	: खसरा संख्या-793
पूरब	: खसरा संख्या-792
पश्चिम	: खसरा संख्या-790

प्रथम पक्ष की संख्या-01	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्री पप्पू पुत्र स्व0 खेमई, निवासी-ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय-कृषि	ननकऊ पुत्र स्व0 मोहन, निवासी-स्थाई व अस्थाई मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौ गांव, जिला-फतेहपुर व्यवसाय-कृषि

नि.अ. ५५४

नि.अ. ११०२५

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RS. TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

256029

-4-

विक्रय विलेख

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा न0 789 रकबा 0.463 हेक्टेअर, खसरा संख्या–791 रकबा 0.044 हेक्टेअर, कुल दो नम्बर, कुल रकबा 0.507 हेक्टेअर है, इस प्रकार कुल रकबा 0. 507 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00048 के अनु[redacted]मि विक्रेता के नाम अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 357416

जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है तथा उक्त आराजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूरत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 270315

रू0 7,00,000/- (रूपया सात लाख मात्र) जिसके आधे रू0 3,50,000/- (रूपया तीन लाख पचास हजार मात्र) होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त ननकऊ पुत्र स्व0 मोहन, निवासी- स्थाई व अस्थाई मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौ गांव, जिला-फतेहपुर के बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि चेक कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान

विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में कोई ट्युबवेल, पेड़, कुआं व इमारत आदि नहीं है तथा आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना–लखनऊ के अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 17,50,000/– + 25% = रू0 21,87,500/– रूपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.507 हेक्टेअर की कुल मालियत रू0 11,09,063/– आती है जिस पर नियमानुसार जनरल स्टाम्प शुल्क 1,11,000/– के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. रू0 4,00,000/– (रूपया चार लाख मात्र) जरिये चेक नं0 131714 दिनांक 07.09.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ से वसूल पाया।
2. रू0 2,00,000/– (रूपया दो लाख मात्र) जरिये चेक नं0 131712 दिनांक 07.09.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ से वसूल पाया।
3. रू0 1,00,000/– (रूपया एक लाख मात्र) जरिये चेक नं0 131713 दिनांक 07.09.2006, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–हजरतगंज, लखनऊ से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक:- 07.09.2006

लखनऊ

(पप्पू)
हस्ताक्षर/विक्रेता

गवाहान:-

1. [illegible] पु० वीर बहादुर
नि० [illegible], लखनऊ

2. [illegible]
पुत्र :- श्री शिव बालक
पता आशियाना [illegible]
लखनऊ

(ननकऊ)
हस्ताक्षर/क्रेता

टाईपकर्ता:
(अभय शाह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(एस०एम०सक्सेना)
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट, लखनऊ

[illegible], परगना व तहसील -

जिला [illegible]

खसरा सं - 783, 791

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.-

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता - [illegible] पुत्र स्व० [illegible] निवासी- ग्राम [illegible] जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलिया के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

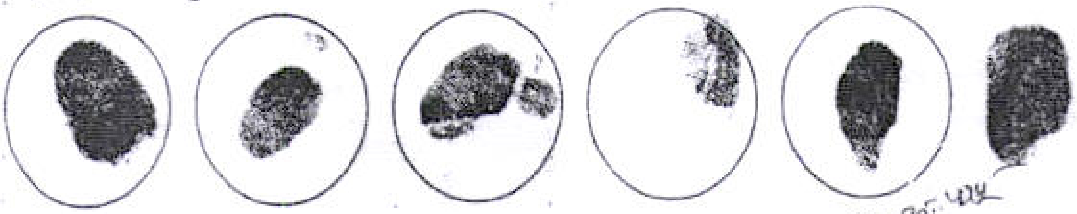

[illegible signature]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible] पुत्र स्व० [illegible] निवासी - [illegible] जिला फतेहपुर

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

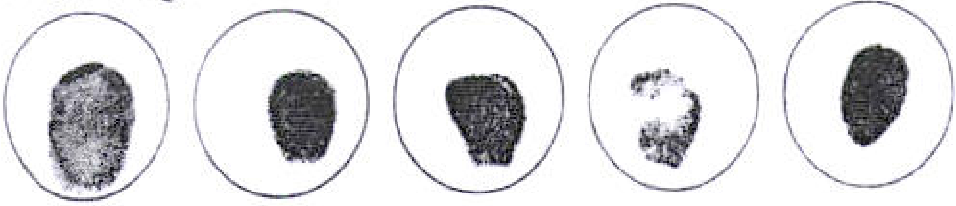

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

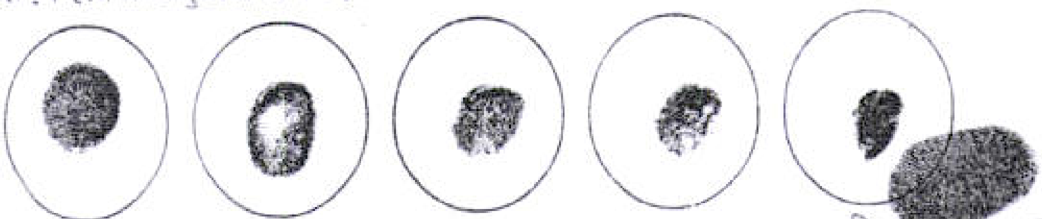

[illegible signature]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

Registration No 8494

Year : 2006

Book No. 1

0101 पप्पू

स्व खेमई

[illegible]

कृषि

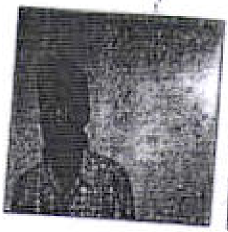

700,000.00/ **1,109,063.00**

विक्रय पत्र

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
700,000.00/	1,109,063.00	5,000.00	20	5,020.00	1,000

श्री / श्रीमती पप्पू
पुत्र / पत्नी श्री स्व.खेमई
पेशा कृषि
निवासी स्थायी ग्राम
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 8/9/2006 समय 3:50PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
8/9/2006

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती पप्पू
पुत्र/पत्नी श्री स्व.खेमई
पेशा कृषि
निवासी ग्राम
अहमामऊ,लखनऊ

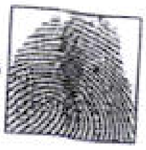

क्रेता
श्री/श्रीमती ननकऊ
पुत्र/पत्नी श्री स्व.मोहन
पेशा कृषि
निवासी मिर्जापुर मिटारी पो.नौगाव जिला-फतेहपुर

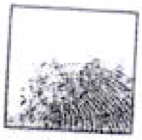

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री संजीव कुमार
पुत्र श्री वी बहादुर
पेशा व्यापार
निवासी अर्जुनगंज,लखनऊ

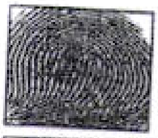

व श्री रामबरन
पुत्र श्री शिवबालक
पेशा कृषि
निवासी बगियामऊ,लखनऊ
ने की।

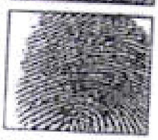

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

ओ.पी.सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
8/9/2006

700,000.00/ **1,109,063.00** विक्रय पत्र

प्रतिफल मालियत

श्री / श्रीमती पप्पू

पुत्र / पत्नी श्री स्व.खेमई

पेशा कृषि

निवासी स्थायी ग्राम

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 8/9/2006 समय 3:50PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

5,000.00	20	5,020.00	1,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

8/9/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती पप्पू

पुत्र/पत्नी श्री स्व.खेमई

पेशा कृषि

निवासी ग्राम

अहमामऊ,लखनऊ

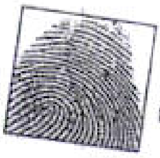

क्रेता

श्री/श्रीमती ननकऊ

पुत्र/पत्नी श्री स्व.मोहन

पेशा कृषि

निवासी मिर्जापुर भिटारी पो.नौगाव जिला-फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री संजीव कुमार

पुत्र श्री वी बहादुर

पेशा व्यापार

निवासी अर्जुनगंज,लखनऊ

व श्री रामबरन

पुत्र श्री शिवबालक

पेशा कृषि

निवासी बनियामऊ,लखनऊ

ने की ।

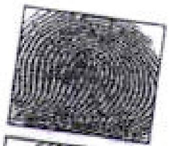

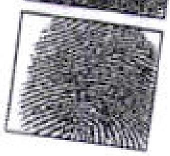

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

8/9/2006

क्रेता

Registration No. 8494 Year 2006 Book No. 1

0201 ननकाऊ

स्व. मोहन

मिर्जापुर पिटारी पो. गैगाव जिला-फतेहपुर

कृषि

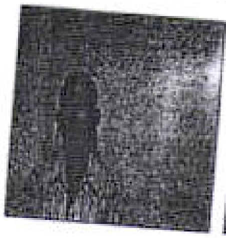

आज दिनांक **08/09/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **6034**

पृष्ठ सं **71** से **92** पर क्रमांक **8494**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ओ.पी.सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

8/9/2006